न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 102/2024

अपीलांट

1. बगडूराम पुत्र वीरूराम विश्नोई
   निवासी फतेहसागर, तहसील
   लोहावट, जिला फलौदी
2. अणची पुत्री वीरूराम पत्नी
   शेम्भूराम विश्नोई
   निवासी सांवरीज, तहसील व
   जिला फलौदी

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार
   लोहावट– आवेदक

औपचारिक प्रत्यर्थीगण–

2. बाबुराम पुत्र बरिंगाराम
3. भंवरलाल पुत्र बरिंगाराम
4. किशनाराम पुत्र मानाराम
5. धनाराम पुत्र जगमालराम
6. खमूराम पुत्र छोगाराम
7. चेनाराम पुत्र जोराराम
8. चन्द्राराम पुत्र बंशीराम
9. अशोक कुमार पुत्र बंशीराम
10. उम्मेदाराम पुत्र माणकराम
11. मुकनाराम पुत्र रामुराम
12. लालाराम पुत्र हरजीराम
13. मोहनीदेवी पत्नी मांगीलाल
14. जमना देवी पत्नी लक्ष्मणराम
15. एलची पुत्री माणकराम
16. जेताराम पुत्र हरदास
17. जालाराम पुत्र हरदास
18. साजनराम पुत्र बनाराम
19. खेराजराम पुत्र बनाराम
20. जगमाल पुत्र छोगाराम
21. भलूराम पुत्र छोगाराम
22. मंगलाराम पुत्र उदाराम
23. मोहनराम पुत्र उदाराम
24. किशनाराम पुत्र कोलाराम
25. जोधाराम पुत्र नेनाराम
26. सुखराम पुत्र नेनाराम
27. बुधाराम पुत्र पांचाराम
28. मोहनराम पुत्र अनाराम
29. सुखराम पुत्र अनाराम
30. सोनाराम पुत्र अनाराम

(सभी जाति विश्नोई निवासी
फतेहसागर, तहसील लोहावट
जिला फलौदी)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी लोहावट आदेश कमांकःराजस्व/2022/2209 दिनांक 07.10.2022

उपस्थिति –
1. श्री लाधूराम पूनियां, वकील अपीलांट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक 09.09.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी लोहावट के अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.10.2022 के द्वारा तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम फतेहसागर के उल्लेखित खसरान की भूमि में से रास्ते में उपयोग हो रही भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठ्ा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट्स ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 से 30 के विरूद्ध किसी प्रकार की इस्तुआ नही है तथा न ही उनके कोई हक प्रभावित होते है, इसलिए उन्हें औपचारिक पक्षकार की सूची में रखा गया है। अपीलांट्स खसरा नं0 1348 की भूमि के रेकर्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार है तथा उनकी सहमति व सुनवाई के बिना उक्त आदेश पारित किया गया है। मौके पर कोई रास्ता चालू नही है। आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार लोहावट ने राजस्व ग्राम फतेहसागर के कुल 24 खसरान में से रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भिजया गया। जिसमें अपीलांट्स के खसरान की 1.5458 हैक्टर भूमि की किश्म कृषि से परिवर्तन करके गैर मुमकिन रास्ता अंकित करना प्रस्तावित किया गया। जबकि बिना भूमि अवाप्त किए रास्ते में दर्ज नही की जा सकती है। आरएलआर एक्ट की धारा 131 व 136 के प्रावधानों के तहत खातेदार की सहमति के बिना उसकी कृषि भूमि अन्य उपयोग परिवर्तित नही की जा सकती है। तहसीलदार को किसी प्रकार के रास्ते की आवश्यकता है तो वह भूमि अर्जन अधिनियम की प्रकिया अपनाकर काश्तकार को क्षतिपूर्ति का भुगतान कर भूमि प्राप्त

कर सकता है। अपीलाधीन आदेश बिना कोई जांच एवं रेकर्ड का परीक्षण किए सरसरी तौर पर पारित किया गया है। अपीलाधीन कार्यवाही में अपीलांट्स को कोई नोटिस, उजर एतराज प्रस्तुत करने हेतु नही दिया गया। उक्त कार्यवाही व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की नीयत से की गई है। अपीलाधीन आदेश विधि, न्याय व अभिलेख के तथा प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश तथा उसके परिणामतः राजस्व रेकर्ड में किए गये परिवर्तन नामांतरकरण, जमाबंदी को निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लोहावट के प्रस्ताव पर आरएलआर एक्ट की धारा 131 व 136 के प्रावधानों एवं रा0भू0अ0 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के तहत पारित किया गया है। मौका फर्द दिनांक 30.9.22 के अनुसार उक्त रास्ते का मौके पर सत्यापन किया गया व आम राय तथा भौतिक सत्यापन के बाद प्रचलित एवं सार्वजनिक चालू रास्ते को कटान बाबत प्रस्तावित किया गया। उक्त रास्ता ग्राम फतेहसागर के 24 खसरान में से 'सिमलड़ी नाडी से राजाणियों की ढाणियों से होते हुए दयाकोर सरहद तक' काटा गया है। जिसमें संबंधित खातेदारों द्वारा राशि रूपये 100/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पर राजीखुशी अपनी सहमति दी गई है। अतः अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत व सार्वजनिक हित में होने से अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार लोहावट से प्राप्त प्रस्ताव कर की गई है, जिसमें संबंधित खातेदारों की 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर सहमति दी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका फर्द दिनांक 30.9.22 के अनुसार रूबरू मौतबिरान मौके पर चालू सार्वजनिक रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन हेतु प्रस्ताव तैयार कर, इसे संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार 'सिमलड़ी नाडी से राजाणियों की ढाणियों से होते हुए दयाकोर सरहद तक' कुल 24 खसरों में मौके पर चालू कदीमी रास्ता दर्शाते हुए, इसका राजस्व रेकर्ड में अंकन करना प्रस्तावित किया गया है। जो सार्वजनिक हित में विधिसम्मत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तद्नुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांकः 2209–13 दिनांक 07.10.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09 सितम्बर, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

09.09.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर